न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 07 / 2021

1 सहीराम
2 तोलाराम पुत्रगण स्व. रामेश्वर जाति समस्त मेघवाल, निवासीगण सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती सावित्री देवी पुत्री स्व. मातादीन पत्नी राजपाल
4 श्रीमती रोशनी पुत्री स्व. मातादीन पत्नी जसवीर
जाति समस्त मेघवाल निवासीगण सोहली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
5 श्रीमती विनोद पुत्री स्व. मातादीन पत्नी बलबीर जाति मेघवाल निवासी खेड़ा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
6 राकेश पुत्र स्व. रामावतार जाति मेघवाल निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
समस्त जरिये मुख्तयार राजेश कुमार उम्र 40 साल पुत्र बलबीर जाति अहीर निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू हाल तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
2 मुकुन्दा पुत्र गगला
3 जीता पुत्र गगला
जाति समस्त चमार
4 पितराम पुत्र गणपत जाति मीणा
निवासीगण सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
5 चिरंजीलाल पुत्र स्व. रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ आदेश बअदालत उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू राज. मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम
मुकुन्दा वगै. अ. धारा 175 आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं.
65/2004 आदेश दिनांक 17.09.2005

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 65/2004 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विचारण न्यायालय के यहां आराजी गत खसरा नम्बर 518 रकबा 2 बीघा 8 बिश्वा, गत खसरा नम्बर 472 रकबा 1 बीघा 12 बिश्वा सरहद मौजा सोनासर के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 व स्व. रामेश्वर के विरूद्ध धारा 175 आर. टी.एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के उक्त प्रार्थना पत्र को एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर जमीन जेर बहस को सिवायचक घोषित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्टस संख्या 01 व 02 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 05 स्व. रामेश्वर के पुत्र है। स्व. रामेश्वर के पुत्र मातादीन व रामावतार का देहान्त हो चुका है। मातादीन के वारिस अपीलान्टस संख्या 03 से 05 है। मातादीन की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। रामवतार के वारिस अपीलान्ट संख्या 6 है। रामावतार की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। रामेश्वर का देहान्त दिनांक 10.08.1993 को हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाकर निर्णित करवाया है जो कि अवैध व शून्य है। कानून से मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 5 को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिला। विचारण न्यायालय ने प्रकरण के अनावेदकगण की तामील सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 के मुताबिक नहीं करवाई। विचारण न्यायालय ने जरिये अखबार तामील करवाकर तथ्य व विधि की भूल की है। नियमानुसार तामीली कार्यवाही की जाती है तो रामेश्वर की मृत्यु की जानकारी हो जाती। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाये बिना निर्णय पारित किया हैं जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की तरफ से धारा 42 बी. आर.टी.एक्ट 1955 के उल्लंघन के संबंध में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर साक्षी उपस्थित नहीं हुआ और अपनी प्लींडिग को साबित नहीं किया। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने मियाद बाहर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कानूनी गलती की है। मियाद के बिन्दु को देखने का दायित्व विचारण न्यायालय का था। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की तृतीय अनुसूची के कमांक 66 के मुताबिक धारा 175 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मियाद 30 साल तय है और उक्त मियाद स्थानान्तरण के दिन से शुरू होती है। स्व. रामेश्वर के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हक में जमीन जैर बहस का विक्रय पत्र दिनांक 13.04.1972 को निष्पादित होकर दिनांक 19.04.1972 को पंजीबद्ध हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.07.2020 को तैयार किया जो दिनांक 19.07.2002 को दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रार्थना पत्र 30 साल पश्चात मियाद बाहर पेश हुआ। मियाद बाहर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स) 1957 के नियम 141 के मुताबिक भी तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 30 साल पुर्व विक्रय पत्र की जानकारी हो गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में स्थानान्तरण की जानकारी दिनांक 15.07.1973 को होना गलत दर्ज किया है। काश्तकारी कानून की तृतीय अनुसूची के क्रमांक 66 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि धारा 175 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्र की मियाद की गणना जानकारी के रोज से की जायेगी बल्की यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि मियाद स्थानान्तरण के राज से शुरू हो जायेगी। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने धारा 175 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय जेर बहस पारित किया हैं जो खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 स्व रामेश्वर के वारिस है। उपरोक्त पक्षकारान को जमीन जैर बहस के टिनेन्सी राईट्स उत्तराधिकार में प्राप्त हुये है। उपरोक्त पक्षकारान बतौर खातेदार जमीन जैर बहस पर काबिज काश्त है। निर्णय जैर बहस अपीलान्टस के हितों के विपरित है। निर्णय जैर बहस से अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 प्रभावित है। अपील के साथ दफा 96 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपीलान्टस को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना उचित व न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है। इस कारण बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2002 को दावा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 17.09.2005 को दावा स्वीकार कर विवादित भूमि सिवायचक घोषित की गई है। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण के वारिसान की ओर से दिनांक 27.01.2021 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील 16 वर्ष के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2002 को दावा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 17.09.2005 को दावा स्वीकार कर विवादित भूमि सिवायचक घोषित की गई है। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण के वारिसान की ओर से दिनांक 27.01.2021 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील 16 वर्ष के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5, धारा 96 एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)